न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 17/2022

दायर दिनांकः 22.08.2022

निर्णय दिनांक 25.07.2025

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.) **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी श्री हुक्मीचन्द जी. जाति ब्राह्मण, उम्र 35 वर्ष, निवासी बड़ा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.) **— गैर निगराकार**

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 35, दिनांक 20/01/2016 के विरूद्ध

उपस्थितः—

1— श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री ललित साहु, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा क्रमांक 35 दिनांक 20.01.2016 द्वारा बड़ा भाणुजा के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा के ग्राम बड़ा भाणुजा के अन्तर्गत विपक्षीया द्वारा तत्कालिन सरपंच चेतना दवे एवं तत्कालिन सचिव प्रमोद दशोरा के द्वारा कोरम बैठक का आयोजन दिनांक 20/01/2016 के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार विपक्षीया बसन्ती बाई के नाम नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया गया है। उक्त पट्टा सहवन/गलती से विपक्षीया को जारी किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा पूर्व में उक्त पट्टा संख्या 35 के वर्णित पड़ौस एवं वर्ष 2009 में पट्टा संख्या 1109 विपक्षीया के पति हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम पर दिनांक 05.11.2009 को जारी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बाद में उक्त पट्टा संख्या 35 दिनांक 20/01/2016 गलत रूप से जारी किया गया हैं, जो निरस्त योग्य हैं। ग्राम बड़ा भाणुजा, ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा आबादी में स्थित पट्टा संख्या 35 दिनांक 20/01/2016 का पंचायत में प्रस्तुत पत्रावली अनुसार सहवन/ गलती से गलत रूप से जारी कर रखा है, जो कानूनन गलत हैं, चूंकि धारा 157 (क) (ख) के तहत पुराने/पुश्तैनी मकान का ही पट्टा जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Arun

जा सकता है। कानूनन धारा 157 (क) (ख) पंचायती राज अधिनियम के तहत एक ही स्थान पर पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा में विपक्षी के नाम जारी पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय पंचायत समिति, खमनोर द्वारा जांच करवाकर दिनांक 05/08/22 को निरस्त कराने हेतु भी आदेश दिया गया हैं, जिसमें दौहरे जारी पट्टे निरस्त कराये जाने हैं। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा वर्ष 2009 में विपक्षीया एवं उसके पति हुक्मीचन्द जोशी दोनों के नाम पट्टा संख्या 1109 हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम से जारी किया गया था तथा दूसरा पट्टा 1120 विपक्षीया के नाम से जारी किया गया था। ऐसा दस्तावेज से ज्ञात आया है कि हुक्मीचन्द की मृत्यु के पश्चात् हुक्मीचन्द के नाम से जारी पट्टे विपक्षीया के नाम जारी उक्त दोनों पट्टे का नये रूप से सन् 2016 में पट्टा संख्या 34 एवं 35 को विपक्षीया के नाम पुनः जारी कराया जाना कानूनन गलत होकर अवैध हैं, जिन्हें निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। विपक्षीया गांव बड़ा भाणुजा की मूल निवासी होकर विपक्षीया के दो मकान हैं, जिनमें विपक्षीया द्वारा सन् 2009 में हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम पर पट्टा संख्या 1109 दिनांक 05/11/2009 को जारी किया हुआ हैं और विपक्षीया के नाम पर पट्टा संख्या 1120 दिनांक 05/11/2009 जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ही मकान के वर्ष 2009 में उक्त पट्टे जारी होने के पश्चात् हुक्मीचन्द की मृत्यु होने से उक्त दोनों पट्टे पुनः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 34 एवं 35 विपक्षीया के नाम पर जारी करना कानूनन गलत हैं, जो निरस्त योग्य हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन पुश्तैनी मकानो के पट्टे जारी करने का प्रावधान हैं। उक्त प्रकरण में विपक्षीया व उसके पति के नाम पूर्व में दोनों पट्टे जारी किये जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 35 दिनांक 20/01/2016 कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टा संख्या 35, दिनांक 20/01/2016 को निरस्त फरमाया।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित साहु ने उपस्थिति दी। तथा ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/ निगराकार ने अपनी निगरानी वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा के ग्राम बड़ा भाणुजा के अन्तर्गत विपक्षीया द्वारा तत्कालिन सरपंच चेतना दवे एवं तत्कालिन सचिव प्रमोद दशोरा के द्वारा कोरम बैठक का आयोजन दिनांक 20/01/2016 के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार विपक्षीया बसन्ती बाई के नाम नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया गया है। उक्त पट्टा सहवन/गलती से विपक्षीया को जारी किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा पूर्व में उक्त पट्टा संख्या 35 के वर्णित पड़ौस एवं वर्ष 2009 में पट्टा संख्या 1109 विपक्षीया के पति हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम पर दिनांक 05.11.2009 को जारी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बाद में उक्त पट्टा संख्या 35 दिनांक 20/01/2016 गलत रूप से जारी किया गया हैं, जो निरस्त योग्य हैं। ग्राम बड़ा भाणुजा, ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा आबादी में स्थित पट्टा संख्या 35 दिनांक 20/01/2016 का पंचायत में प्रस्तुत पत्रावली अनुसार सहवन/गलती से गलत रूप से जारी कर रखा है, जो कानूनन गलत हैं, चूंकि धारा 157 (क) (ख) के तहत पुराने/पुश्तैनी मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। कानूनन धारा 157 (क) (ख) पंचायती राज अधिनियम के तहत एक ही स्थान पर पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा में विपक्षी के नाम जारी पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय पंचायत समिति, खमनोर द्वारा जांच करवाकर दिनांक 05/08/2022 को निरस्त कराने हेतु भी आदेश दिया गया हैं, जिसमें दौहरे जारी पट्टे निरस्त कराये जाने हैं। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा वर्ष

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2009 में विपक्षीया एवं उसके पति हुक्मीचन्द जोशी दोनों के नाम पट्टा संख्या 1109
हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम से जारी किया गया था तथा दूसरा पट्टा
1120 विपक्षीया के नाम से जारी किया गया था। ऐसा दस्तावेज से ज्ञात आया है कि
हुक्मीचन्द की मृत्यु के पश्चात् हुक्मीचन्द के नाम से जारी पट्टे विपक्षीया के नाम जारी उक्त
दोनों पट्टे का नये रूप से सन् 2016 में पट्टा संख्या 34 एवं 35 को विपक्षीया के नाम पुनः
जारी कराया जाना कानूनन गलत होकर अवैध हैं, जिन्हें निरस्त किया जाना आवश्यक हैं।
विपक्षीया गांव बड़ा भाणुजा की मूल निवासी होकर विपक्षीया के दो मकान हैं, जिनमें
विपक्षीया द्वारा सन् 2009 में हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम पर पट्टा संख्या
1109 दिनांक 05/11/2009 को जारी किया हुआ हैं और विपक्षीया के नाम पर पट्टा
संख्या 1120 दिनांक 05/11/2009 जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ही
मकान के वर्ष 2009 में उक्त पट्टे जारी होने के पश्चात् हुक्मीचन्द की मृत्यु होने से उक्त
दोनों पट्टे पुनः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 34 एवं 35 विपक्षीया के नाम पर जारी करना
कानूनन गलत हैं, जो निरस्त योग्य हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157
(1) के अधीन पुश्तैनी मकानो के पट्टे जारी करने का प्रावधान हैं। उक्त प्रकरण में विपक्षीया
व उसके पति के नाम पूर्व में दोनों पट्टे जारी किये जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या
35 दिनांक 20/01/2016 कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पट्टा
निरस्त योग्य है। पट्टा संख्या 35, दिनांक 20/01/2016 को निरस्त फरमाया।

अधिवक्ता गैर निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बड़ा
भाणुजा द्वारा विपक्षीया के पति हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम पर पट्टा
संख्या 1109 दिनांक 05.11.2009 को पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 157(1) के
तहत जारी किया गया। परन्तु उक्त जारी पट्टे में वर्णित चतुर्दशी दिशाओं के पड़ौस में
संशोधन होने से उक्त पट्टा विपक्षीया द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष सरेण्डर किया गया।
जिसके अनुसरण में ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीया के पक्ष में संशोधित नया पट्टा संख्या 35,
दिनांक 20/01/2016 को जारी किया गया। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत
निगरानी याचिका को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया। निगराकार ने विचारणीय निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की, कि ग्राम
पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा विपक्षीया के नाम दिनांक 20.01.2016 को पंचायतीराज
नियमावली 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया गया। उक्त पट्टा
सहवन/गलती से विपक्षीया को जारी किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा
पूर्व में उक्त पट्टा संख्या 35 के वर्णित पड़ौस का विपक्षीया के पति हुक्मीचन्द पिता
छगनलाल जी जोशी के नाम ही वर्ष 2009 में पट्टा संख्या 1109 दिनांक 05/11/2009 को
जारी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बाद में उक्त पट्टा संख्या 35 दिनांक
20/01/2016 गलत रूप से जारी किया गया हैं, जो निरस्त योग्य हैं।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन पर पाया कि ग्राम
पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा विपक्षीया बसन्ती बाई पत्नि हुक्मीचन्द ब्राहाम्ण के नाम दिनांक
20.01.2016 को पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35
जारी किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत
बड़ा भाणुजा द्वारा विपक्षीया विपक्षीया के पति हुक्मीचन्द पिता छगनलाल जी जोशी के नाम
दिनांक 05.11.2009 को पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा
संख्या 1109 जारी किया गया। परन्तु उक्त जारी पट्टे में वर्णित चतुर्दशी दिशाओं के
पड़ौस में संशोधन होने से उक्त पट्टा विपक्षीया द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष सरेण्डर किया
गया। जिसके अनुसरण में ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीया के पक्ष में संशोधित नया पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

संख्या 35, दिनांक 20/01/2016 को जारी किया गया। एवं उक्त आशय का शपथ पत्र भी विपक्षीया द्वारा दिनांक 11.07.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा दिनांक 10.07.2025 को जारी प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित किया गया कि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा के दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया कि पट्टा क्रमांक 1109 दिनांक 05.11.2009 को पट्टा श्री हुक्मीचन्द पिता श्री छगनलाल जोशी व 1120 में दिनांक 05.11.2009 को पट्टा श्रीमती बसन्ती बाई पत्नि हुक्मीचन्द जोशी निवासी बड़ा भाणुजा के नाम से आवंटित है। उपरोक्त में संशोधन होने से ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा बुक संख्या 060 तथा पट्टा संख्या 034 व 035 श्रीमती बसन्ती बाई पत्नि हुक्मीचन्द जोशी के नाम से दिनांक 20.01.2016 को आवंटित किया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा विपक्षीया के पति के पक्ष में दिनांक 05.11.2009 को जारी पट्टा संख्या 1109 में वर्णित पडौस में संशोधन होने से ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा विपक्षीया के पक्ष में दिनांक 20.01.2016 को पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया गया। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चुंकि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टे में संशोधन होने से नवीन पट्टा जारी किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 1109 दिनांक 05.11.2009 को निरस्त नही करवाया गया। अतः ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 1109 दिनांक 05.11.2009 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 1109 दिनांक 05.11.2009 को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा द्वारा जारी पट्टा संख्या 35, दिनांक 20/01/2016 को यथावत रखा जाता हैं। ग्राम पंचायत बड़ा भाणुजा को मूल पट्टा पत्रावली मय निर्णय की प्रति के लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद